न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 47 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2013 / 00126

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 देवा पुत्र दाना, कौम–रेबारी, निवासी–कुड़ा, तहसील–सांचौर		1 सगताराम पुत्र केहरा 2 गणेशाराम पुत्र केहरा 3 केली देवी बैवा केहरा 4 पार्वती बैवा केहरा 5 भीखी पुत्री केहरा 6 प्रेमा पुत्र धर्मा 7 हरचन्द्र पुत्र धर्मा 8 बेचारा पुत्र दाना जातियान–रेबारी, निवासीगण– कुड़ा, तहसील–सांचौर, जिला–सांचौर 9 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

दावा बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 31.07.2013

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।
3. राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर बाद तामील जवाब बन्द।

:– निर्णय :– दिनांक :– 17.02.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा कुड़ा में वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 243 रकबा 0.09 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नंबर 286 रकबा 2.99 हैक्टेयर बारानी प्रथम, कुल रकबा 3.08 हैक्टैयर के आये हुए है। उपरोक्त खेतों में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी [illegible] लगायत 7 तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 व मुझ वादी का है [illegible] काबिज काश्त है। हम सभी ने उपरोक्त खेतों का मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है [illegible] अनुसार काश्त करते है। उपरोक्त आराजी में मुझ वादी द्वारा 1/4 हिस्से के बंट में काश्त [illegible] जा रही है लेकिन राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं होने से एवं खाता सामलाति होने से वादी को अपने हिस्से बाबत् सरकारी कामकाज में हमेशा प्रतिवादीगण की सहमति की आवश्यकता रहती है लेकिन प्रतिवादीगा न तो सहमति देने को तैयार होते है एवं न ही बंटवाड़ा करवा रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:04:29 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

वादी ने उपरोक्त खेतों का बंटवाड़ा हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण को विवादित खेतों का राजस्व रेकर्ड में वादी के बन्ट का हिस्सा अलग करवाने हेतू बयान देने के लिए कहा गया तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये तथा वादी के हिस्से में काश्त में भी दखलंदाजी करते रहते है चुंकि वादग्रस्त खेतों में वादी का 1/4 हिस्सा पैतृक हकों का राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा भूमि एवं बंट व कब्जाकाश्त की भूमि होने से प्रथम दृष्टि में केस वादी के पक्ष में है एवं सुविधा का संतुलन भी वादी के ही पक्ष में है लेकिन प्रतिवादीगण वादी के हिस्से में एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी करते रहते है। जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने न्यायहित में आवश्यक है इसलिए यह वाद प्रस्तुत किया है अन्त में निवेदन किया है कि खेत खसरा संख्या 243 रकबाा 0.09 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा संख्या 286 रकबा 2.99 हैक्टेयर बारानी प्रथम, कुल रकबा 3.08 हैक्टेयर सरहद मौजा कुड़ा में वादी का 1/4 हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अलग किये जाने की बंटवाड़ा की डिक्री व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 31.07.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये लेकिन प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 15.12.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 9 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश न करने पर दिनांक 09.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 9 का जवाब बन्द किया गया तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी की साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत न होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की जावें। जिस पर सुना गया चुंकि वाद संयुक्त खातेदारी के बंटवाड़े का है अतः निर्णय प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर किया जाना है, अतः वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 21.06.2022 को दिया गया।

हमने वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई, वादी वकील ने निवेदन किया कि ग्राम कुड़ा के खेत खसरा संख्या खसरा संख्या 243 रकबा 0.09 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नंबर 286 रकबा 2.99 हैक्टेयर बारानी प्रथम, कुल रकबा [illegible] में वादी का 1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा था [illegible] जिसको वादी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स आधार पर अलग करवाने का विधिसम्मत अधिकारी है, इस आधार पर प्राथमिक डिक्री की जावें। पत्रावली का गहन अध्ययन व अवलोकन किया। पत्रावली पर मौजूद जमाबंदी सत्यप्रति संवत् 2068 से 2071 खाता नंबर 137 के अनुसार वादी देवा व उसके बेचरा का 1/2 हिस्सा, खसरा नंबर 243 व 276 में दर्ज है। ऐसी सुरत में वादी 1/4 हिस्से का बंटवाड़ा करवाने का विधिसम्मत अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.03.18 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रेक) सांचोर

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सांचौर से प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा क्रमांक/भू.अ./2024/4198 दिनांक 30.10.2024 को प्राथमिक डिक्री की पालना न्यायालय हाजा में पेश की गई जो निम्न प्रकार से है।

क्रं सं	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1	देवा पुत्र दाना, जाति–रेबारी, साकिन–कुड़ा खातेदार (प्रदर्शित रंग–हरा)	243 276 में से	0.09 हैक्टेयर 0.68 हैक्टेयर
		कुल खसरा 02	0.77 हैक्टेयर

2

क्रं सं	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1	केली देवी पत्नी केहरा हि. 2/45 गणेशाराम पुत्र केहरा हि. 2/45 प्रेमा पुत्र धर्मा हि. 2/9 पारबती पुत्री केहरा हि. 2/45 बेचरा पुत्र दाना हि. 1/3 (रहन जमाबंदी बदस्तूर) भीखी पुत्री केहरा हि. 2/45 सगताराम पुत्र केहरा हि. 2/45 हरचंद पुत्र धर्मा हि. 2/45 जातियान–रेबारी, साकिनान–कुड़ा खातेदार (प्रदर्शित हरा रंग–गुलाबी)	276 में से	2.31 हैक्टेयर
		कुल खसरा 01	2.31 हैक्टेयर

उपरोक्त पालना रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादी को सुना गया, जिस पर किसी भी प्रकार की उक्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर कोई आपति जाहिर नहीं की जिस पर उक्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट स्वीकार की जाती है तथा प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट अनुसार वादी बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी होने से वादी का दावा स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार वादी बंटवाड़ा की अंतिम डिक्री करवाने का विधिसम्मत अधिकारी होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested

:– आदेश :–

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2024 को जारी प्राथमिक डिक्री के संदर्भ में तहसीलदार सांचौर द्वारा दिनांक 30.10.2024 की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तावित बंटवाड़ा अनुसार वादी देवा पुत्र दाना,

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

जाति–रेबारी, साकिन–कुड़ा खातेदार को बंटवाड़े में हरे रंग से दर्शाया गया है तथा प्रतिवादी सगताराम पुत्र केहरा, गणेशाराम पुत्र केहरा, केली देवी बैवा केहरा, पार्वती पुत्री केहरा, भीखी पुत्री केहरा, प्रेमा पुत्र धर्मा, हरचन्द पुत्र धर्मा व बेचरा पुत्र दाना, जातियान–रेबारी, निवासीगण–कुड़ा को प्रस्तावित बंटवाड़े में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। अतः उपरोक्तानुसार बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 सादिर की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट दिनांक 30.10.2024 अनुसार भूमि तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कायम करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक **17.02.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर, जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:04:29 IST
Reason: SelfAttested